

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 5 /2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 61 (अ) दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा संख्या 2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"2. प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात् 05 जून, 2017 से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क की वसूली अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के व्यपगत होने की तारीख अर्थात् 05 दिसम्बर, 2017 से लेकर 22 जनवरी, 2018 तक नहीं की जाएगी ।

(फाइल संख्या 354/82/2017-टीआरयू भाग-1)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट- प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018 को सा.का.नि. 61 (अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया है ।